



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-पं० नि० -30 -40/2016 - 427

पटना, दिनांक - 08.02.2016

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार की अधिसूचना संख्या-पं० नि० -30 -02/2011 - 01 संसूचित ज्ञापांक 641 दिनांक - 10.02.2011 को अवक्रमित करते हुए बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-44 एवं नियम - 55 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग इस राज्य में पंचायत निकायों (यथा ग्राम पंचायत के सदस्य/ ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों) तथा ग्राम कचहरी (यथा सरपंच एवं पंच) के निर्वाचन के लिए निम्नांकित तालिका के कॉलम-2 में यथा निर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों को निर्धारित करता है।

निर्वाचन क्षेत्र एवं पद धारक का नाम	निर्धारित प्रतीक	
1	2	
1. ग्राम पंचायत के सदस्य के पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए	1. वायुयान 3. कुल्हाड़ी 5. केला	2. अलमीरा 4. गुब्बारा
2. ग्राम पंचायत के मुखिया के पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए	1. मोतियों की माला 3. कलम और दावात 5. पुल 7. ब्रश 9. कैमरा 11. कार 13. गाजर 15. रोड रोलर 17. जग 19. शटल 21. टेलीविजन 23. छड़ी 25. सीटी 27. टोकरी 29. कांटा	2. ब्लैक बोर्ड 4. ईट 6. बैगन 8. चिमनी 10. मोमबत्तियाँ 12. कैरम बोर्ड 14. नेकटाई 16. दाव 18. केतली 20. टेन्ट 22. टॉफी 24. ऊन 26. चुड़ियाँ 28. बल्ला
3. ग्राम कचहरी के पंच के पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए	1. गुड़िया 3. कुर्सी 5. ट्रैक्टर	2. चापाकल 4. टार्च

4. ग्राम कचहरी के सरपंच के पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. स्टोव | 2. मोटरसाइकिल |
| 3. नल | 4. बल्व |
| 5. जीप | 6. काठ गाड़ी |
| 7. वैन | 8. हाथ ठेला |
| 9. लड्डू | 10. हल |
| 11. टमटम | 12. टेलीफोन |
| 13. टाईपराइटर | 14. ढाल |
| 15. छाता | 16. भोजन की थाली |
| 17. टी-सेट | 18. पानी का जहाज |
| 19. ट्रक | 20. चरखा |
| 21. तलवार | |

5. पंचायत समिति के सदस्य के पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. छत का पंखा | 2. नारियल |
| 3. कंधा | 4. चारपाई |
| 5. कप और प्लेट | 6. डोली |
| 7. फ्राक | 8. फ्राइंग पैन |
| 9. गैस सिलेण्डर | 10. बिजली का खंभा |

6. जिला परिषद् के सदस्य के पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. पतंग | 2. लेडी पर्स |
| 3. लेटर बाक्स | 4. ताला और चाबी |
| 5. मक्का | 6. प्रेशर कुकर |
| 7. रेल का इंजन | 8. आरी |
| 9. कैंची | 10. सिलाई की मशीन |
| 11. स्लेट | 12. चम्मच |
| 13. स्टूल | 14. मेज |
| 15. टेबुल लैम्प | 16. गैस का चूल्हा |
| 17. कांच का गिलास | 18. हारमोनियम |
| 19. टोप | 20. वायलीन |

इसके अतिरिक्त निम्नांकित निर्वाचन प्रतीकों को सुरक्षित रूप में रखा जाएगा जिसका प्रयोग, विशेष परिस्थिति में, अर्थात् यदि उपर्युक्त छः अथवा किसी एक या एकाधिक श्रेणियों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाए तो, किया जाएगा।

सुरक्षित प्रतीकों की सूची

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. बल्लेबाज | 2. डबल रोटी |
| 3. ब्रीफकेस | 4. केक |
| 5. कोट | 6. डीजल पम्प |
| 7. लिफाफा | 8. हैंगर |
| 9. आइसक्रीम | 10. अंगूठी |
| 11. किताब | 12. चश्मा |
| 13. तराजू | 14. सीढ़ी |
| 15. उगता हुआ सूरज | 16. आम |

- | | |
|----------------|----------------|
| 17. शंख | 18. टेबुल फैन |
| 19. दिवाल घड़ी | 20. स्कूटर |
| 21. मोर | 22. बगुला |
| 23. तोता | 24. जोड़ा हिरण |
| 25. चरखा | 26. ऊँट |
| 27. बकरी | 28. जोड़ा बैल |
| 29. मछली | 30. कछुआ |
| 31. मुर्गा | 32. गैंडा |

सुरक्षित प्रतीकों में अगर किसी मतदान केन्द्र पर पद विशेष के प्रत्याशी के लिए क्रम संख्या 1 का निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने की आवश्यकता पड़ती है तो पंचायत के दूसरे पद विशेष के प्रत्याशियों के लिये आवश्यकता पड़ने पर क्रम संख्या एक को छोड़कर क्रम संख्या 2 एवं उससे आगे के क्रम के सुरक्षित प्रतीक आवंटित किये जायेंगे एवं इसी तरह अन्य पदों के लिए आवश्यकतानुसार पूर्व आवंटित सुरक्षित प्रतीकों के आगे क्रम के सुरक्षित प्रतीक आवंटित कर दिये जायेंगे। अगर अंतिम क्रम संख्या 32 पर अंकित प्रतीक के आवंटन के पश्चात भी सुरक्षित प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है तो विशेष परिस्थिति में पुनः क्रम संख्या 1 से प्रतीक आवंटन शुरु किया जा सकता है।

नियमावली के नियम-42 के अन्तर्गत उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने के तुरंत बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच तथा पंच, ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची नियमावली के नियम 43 (2) के अन्तर्गत प्रपत्र-9 में तैयार कर कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी एवं इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को भेजी जायेगी। उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के वर्णक्रमानुसार नाम पता सहित अन्तर्विष्ट होगा, परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का प्रथम नाम एक ही हो, तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के क्रम संख्यानुसार उनका वर्णानुक्रम तय करते हुए अलग-अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्ठक में क्रमशः (1), (2), (3) आदि अंकित किया जाएगा। तत्पश्चात निर्वाची पदाधिकारी कॉलम - 2 में निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों में से प्रपत्र-9 में अभ्यर्थियों के नामों के क्रमांक के अनुसार प्रतीकों को क्रमवार आवंटित करेंगे, अर्थात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के क्रमांक-1 के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक-1, क्रमांक-2 के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक-2, क्रमांक-3 पर के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक-3 और, इसी तरह क्रमशः आवंटित करेंगे एवं नियमानुकूल प्रपत्र-9 का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

यदि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कॉलम-2 में अंकित कुल प्रतीकों की संख्या से अधिक हो जाए तो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बत्तीस सुरक्षित निर्वाचन प्रतीकों में से इन प्रतीकों को क्रमानुसार आवंटित किया जायगा।

राज्य में पंचायत निर्वाचन दस चरणों में सम्पन्न कराया जाना है। चरणवार विभिन्न प्रक्रमों की सूचना आपके द्वारा प्रपत्र-5 में निर्गत की जायेगी। अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद निर्धारित तिथि को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित प्रतीकों के साथ अभ्यर्थियों की सूची साथ प्रपत्र-9 में प्रकाशित की जायेगी।

प्रपत्र-9 में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करते वक्त यह महत्वपूर्ण विन्दु ध्यान में रखा जाय कि मतपत्रों का मुद्रण प्रपत्र-9 में तैयार की गई सूची में अंकित उसी क्रम के अनुसार किया जायेगा जिस क्रम में निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा उक्त सूची बनाई गई है। स्पष्टतः यह आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारियों को देवनागरी लिपि में वर्ण क्रम की पूर्ण जानकारी रहे ताकि प्रपत्र-9 में प्रकाशित किये जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों को वर्ण क्रमानुसार सही-सही अंकित किया जा सके। आपकी सुविधा हेतु अभ्यर्थियों की सूची देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार करने से संबंधित राजभाषा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र संख्या 301 दिनांक 30.03.2007 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त कार्य के सम्पादन हेतु सभी निर्वाची पदाधिकारियों को जिले के निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध जानकार कर्मी/जिले में उपलब्ध राजभाषा विभाग के कर्मी द्वारा वर्ण क्रम के बारे में पूरी जानकारी देकर उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित करवाने की व्यवस्था कृपया सुनिश्चित की जाए ताकि निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-9 में अभ्यर्थियों की सूची सही रूप में वर्ण क्रमानुसार तैयार की जा सके।

लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव के क्रम में इस पद्धति को अपनाया गया है। तदनुकूल प्रपत्र-9 में अभ्यर्थियों के नामों का अंकन किया जाए। किसी भी अशुद्धि के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी एवं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे। अतः दायित्व का निर्वहन निष्ठा एवं दृढ़ता के साथ सम्पन्न किया जाना आवश्यक है।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारी नियम 43 एवं नियम 44 के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई सही रूप से निश्चित समय पर करें। प्रपत्र-9 में प्रकाशित सूची की एक प्रति आयोग को भी प्रतिक आवंटन के आगामी दिन तक उपलब्ध कराई जाये।

निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के पश्चात आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को भेजे गये निर्वाचन प्रतीक की सूची में से आवंटित प्रतीक की अनुकृति सम्बन्धित अभ्यर्थी को लिखित में दे दी जाय।

इसके साथ ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के पंच, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद् के सदस्य पद के लिए आवंटित निर्वाचन प्रतीकों एवं विशेष परिस्थिति में उपयोग में लाने हेतु सुरक्षित प्रतीकों की अनुकृति की सूची संलग्न है।

अनुलग्नक - उपर्युक्त।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

(दुर्गेश चन्दन)

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक - पं0 नि0 -30 -40/ 2016 - 427

पटना, दिनांक - 08.02.2016

प्रतिलिपि- उपर्युक्त आदेश की प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की एक सौ प्रतियाँ राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को भेजने का कष्ट करें।

सचिव।

ज्ञापांक - पं0 नि0 -30 -40/ 2016 - 427

पटना, दिनांक - 08.02.2016

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) इस अधिसूचना की पर्याप्त प्रतियाँ (प्रत्येक पद के लिए निर्धारित प्रतीकों के साथ) अपने स्तर पर तैयार कर निर्वाची पदाधिकारियों को उपलब्ध करा देंगे।


सचिव।

ग्राम पंचायत के सदस्य के पद के लिए
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक



1. वायुयान




2. अलमीरा



3. कुल्हाड़ी




4. गुब्बारा



5. केला


ग्राम पंचायत के मुखिया के पद के लिए
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक




1. मोतियों की माला




2. ब्लैक बोर्ड



3. कलम और दावात



4. ईंट




5. पुल




6. बैंगन




7. ब्रश




8. चिमनी




9. कैमरा




10. मोमबत्तियाँ



11. कार




12. कैरम बोर्ड



13. गाजर



14. नेकटाई




15. रोड रोलर



16. दाव



17. जग




18. केतली



19. शटल




20.



टेन्ट 21. टेलीविजन




22. टॉफी



23. छड़ी




24. उन



25. सीटी



26. चुड़ियाँ



27. टोकरी



28. बल्ला




29. कांटा

ग्राम कचहरी के पंच के पद के लिए
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक




1. गुड़िया



2. चापाकल



3. कुर्सी




4. टार्च




5. ट्रैक्टर

ग्राम कचहरी के सरपंच के पद के लिए
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक




1. स्टोव




2. मोटरसाइकिल




3. नल




4. बल्ब



5. जीप



6. काठ गाड़ी




7. वैन




8. हाथ टेला



9. लड्डू



10. हल




11. टमटम



12. टेलीफोन



13. टाईपराइटर



14. ढाल




15. छाता



16. भोजन की थाली




17. टी-सेट




18. पानी का जहाज



19. ट्रक




20. चरखा



21. तलवार


पंचायत समिति के सदस्य के पद के लिए
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक




1. छत का पंखा



2. नारियल



3. कंघा



4. चारपाई



5. कप और प्लेट



6. डोली



7. फ्रॉक



8. फ्राइंग पैन




9. गैस सिलेण्डर



10. बिजली का खंभा


जिला परिषद् के सदस्य के पद के लिए
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक



1. पतंग



2. लेडी पर्स



3. लेटर बाक्स



4. ताला और चाबी




5. मक्का



6. प्रेशर कुकर




7. रेल का इंजन




8. आरी




9. कैंची



10. सिलाई की मशीन




11. स्लेट




12. चम्मच




13. स्टूल




14. मेज




15. टेबुल लैम्प



16. गैस का चूल्हा



17. कांच का ग्लास



18. हारमोनियम



19. टोप



20. वायलीन

सुरक्षित प्रतीकों की सूची



1. बल्लेबाज



2. डबल रोटी




3. ब्रीफकेस



4. केक



5. कोट



6. डीजल पम्प



7. लिफाफा




8. हैंगर



9. आइसक्रीम



10. अंगूठी




11. किताब




12. चश्मा



13. तराजू



14. सीढ़ी



15. उगता हुआ सूरज



16. आम




17. शंख



18. टेबुल फैन



19. दिवाल घड़ी




20. स्कूटर




21. मोर




22. बगुला




23. तोता



24. जोड़ा हिरण




25. चरखा



26. ऊँट



27. बकरी



28. जोड़ा बैल




29. मछली



30. कछुआ



31. मुर्गा



32. गैंडा